तैयारी

निवेशकों के फीडबैक से होगा विभागों के कामकाज का मूल्यांकन

पहली बार जिला, मंडल और मुख्यालय में होगी निवेशकों की मॉकड्रिल

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। निवेशकों को बेहतर सुविधा देने और विभागीय कार्यप्रणाली की वास्तविक जांच के लिए देश में पहली बार इन्वेस्टर जर्नी मॉकड्रिल की शुरुआत हो रही है। इसके तहत निवेशकों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित विभागवार इन्वेस्टर जर्नी सिनेरियो (निवेशक यात्रा अनुभव) तैयार किया जाएगा। इसमें प्रत्येक विभाग में निवेशक किस प्रक्रिया से गुजरता है उसका सटीक चित्रण किया जाएगा।

निवेश एजेंसी इन्वेस्ट यूपी की पहल पर जिला, मंडल और मुख्यालय स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। निवेशकों को बेहतर सुविधा देने और विभागीय कार्यप्रणाली की वास्तविक जांच के लिए यह कवायद हो रही है। इसके लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है जो निवेशकों के अनुभवों के आधार कर विभागवार सेवा मूल्यांकन करेगी। इसका उद्देश्य निवेशक सुविधा प्रणाली को और पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनाना भी है।

इन्वेस्ट यूपी मॉकड्रिल और सेवा मूल्यांकन के लिए करेगा एजेंसी का चयन

एजेंसी का प्रमुख काम निवेशकों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित विभागवार रिपोर्ट तैयार करना होगा। यानी प्रत्येक विभाग में निवेशक किस प्रक्रिया से गुजरता है, आवेदन से लेकर अनुमति, दस्तावेजी जांच, और परियोजना संचालन तक उसका सटीक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद जिला, मंडल और मुख्यालय स्तर पर मॉक ड्रिल होगी। इसमें निवेशक की भूमिका में एजेंसी के प्रतिनिधि विभागों के पास विभिन्न तरह के पूछताछ, आवेदन और सुविधा अनुरोध दर्ज करेंगे।

इसका उद्देश्य यह परखना होगा कि विभाग कितनी तेजी और कितनी सटीकता से प्रतिक्रिया देता है। प्रत्येक विभाग की प्रक्रिया की समयसीमा, सूचना की गुणवत्ता और प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन होगा। एजेंसी को हर चरण में निष्पादन की पारदर्शिता और दक्षता को भी रिकॉर्ड करना होगा।

विभागों का बनेगा स्कोरकार्ड

एजेंसी को सभी गतिविधियों का विधिक रूप से रिकॉर्ड तैयार करना होगा ताकि मूल्यांकन ठोस सबूतों पर आधारित रहे। प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग इन्वेस्टर जर्नी स्कोरकार्ड तैयार किए जाएंगे जिनमें प्रदर्शन का विस्तृत आकलन होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि किस विभाग में निवेशक को जानकारी देने या अनुरोध निपटाने में देरी होती है, कहां सूचना अधूरी मिलती है और कहां अधिकारी तुरंत समाधान देते हैं। ठोस और लागू करने योग्य सिफारिशें भी देनी होंगी जिनसे निवेशक सुविधा प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके।